उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 212/2017/1695/92-2-2017-68जांच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 18 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बाराबंकी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम सरई बेलहरी, ग्राम जियनपुर एवं ग्राम सराय सलीम के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जांच आख्या के अनुसार के कार्यकाल में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सुधीर किशोर श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2016/2262/92-2-2016-68जांच/2016 दिनांक 02-01-2017 द्वारा सी0एस0 आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता, पूर्वी क्षेत्र, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

आप द्वारा प्रखण्ड-बाराबंकी में सहायक अभियंता कार्यकाल के दौरान विकास खण्ड- सिद्धौर में वर्ष 2013-14 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम जियनपुर सराय सलीम एवं सराय बेलहरी में प्रस्तावित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य कराया गया। उक्त कार्य की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दिनांक 01-08-2016 को की गयी। टी0ए0सी0 की जांच में लीन कंक्रीट एवं पालीथीन शीट की मोटाई कम पाये जाने, पी0सी0सी0 प्लास्टर तथा सी0सी0 कार्य शक्ति में कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप रू0 58,256.00 की शासकीय क्षति आंकलित की गयी। उक्त आंकलित शासकीय क्षति के 50 प्रतिशत रू0 29,128.00 के लिये संबंधित ठेकेदार तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात 19,128.00 के 75 प्रतिशत अर्थात रू0 21,846.00 के लिये संबंधित अवर अभियंता एवं 25 प्रतिशत धनराशि 7,282.00 के लिये सहायक अभियंता को उत्तरदायी ठहराया गया है, जिसमें रू0 7,104.00 की शासकीय क्षति के लिये आप उत्तरदायी है।

अत: उक्त डा0 लोहिया ग्रामों में अधोमानक कार्य कराये जाने के कारण शासन को कुल रू0 58,256.00 की शासकीय क्षति हुई, जिसमें से रू0 7,104.00 की शासकीय क्षति के लिये आपको उत्तरदायी मानते हुये आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या-2

आप द्वारा प्रखण्ड-बाराबंकी में सहायक अभियंता के पद पर रहते हुये विकास खण्ड–सिद्धौर में वर्ष 2013-14 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम जियनपुर, सरॉय सलीम एवं सराय बेलहरी में प्रस्तावित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्यो की टी0ए0सी0 जांच में लीन कंक्रीट एवं पालीथीन शीट की मोटाई कम पायी गयी। पी0सी0सी0, प्लास्टर एवं सी0सी0 कार्य शक्ति में कमजोर पाया गया। इस प्रकार अधोमानक कार्य कराये जाने एवं गुणवत्ता नियंत्रण में शिथिलता एवं अधीनस्थ अभियंताओं/ठेकेदारों पर शिथिल नियंत्रण के लिये आप उत्तरदायी है, जिसके लये आरोप आरोपित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- अपचारी अधिकारी, श्री श्रीवास्तव का बचाव उत्तर उनके पत्र दिनांक 17-05-2017 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, पू0क्षे0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-985/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/सुधीर किशोर/एस0टी0-129/2017-18 दिनांक 20-06-2017 द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री श्रीवास्तव पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से आरोप सं0-2 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 19-07-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके दिनांक रहित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया, जो शासन में दिनांक 15-09-2017 को प्राप्त हुआ। उक्त अभ्यावेदन में अपचारी अधिकारी द्वारा किसी भी नवीन तथ्य का उल्लेख न करते हुये अवगत कराया है कि उनके द्वारा की गयी अनियमितता से परिलक्षित शासकीय क्षति 2 प्रतिशत से कम है, जो सहिष्णुता सीमा के अन्दर आता है।

3- अपचारी अधिकारी, श्री सुधीर किशोर श्रीवास्तव पर अधिरोपित आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-2, स्वीकृत मानक लागत के सापेक्ष प्रस्तावित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्यो में लीन कंक्रीट एवं पालीथीन शीट की मोटाई मानक से कम पायी गयी तथा पी0सी0सी0, प्लास्टर एवं सी0सी0 कार्य शकित में कमजोर पाये जाने पर आंशिक रूप से स्थापित पाया गया है, परन्तु अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रहने के दृष्टिगत श्री श्रीवास्तव के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-01-2017 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-212/2017/1695/(1)/92-2-2017 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री सुधीर किशोर श्रीवास्तव, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in